INCIDENT OF CASTE VIOLENCE IN KOLAR DISTRICT KARNATAKA ON 11TH MARCH, 2000

श्री गांधी आजाद (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद महोदय, 11 मार्च को कर्नाटक के कोलार जिले में केनचरा लाहल्ली के गांव कम्बलापल्ली में जो सात दलित समुदाय के लोगों को जिंदा जलाने की घटना घटित हुई है, वह एक शर्मनाक घटना है। आजादी के 53 साल के बाद भी ऐसी घटनाएं घटित होना हमारे देश के लिए कलंक की बात है और मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस कलंक के धब्बे को हम लोगों को मिल-जुलक धोने का प्रयास करना चाहिए। महोदय, आजादी के बाद इससे भयंकर घटनाएं भी हुई हैं, दलितों पर बहुत अत्याचार करते हुए या खेद प्रकट करते हुए आगे बढ़ती गयी हैं लेकिन उन कारणों का पता लगाने का प्रयास नहीं किया गया कि किन कारणों से यह घटनाएं घटित होती हैं। मेरी राय में इस प्रकार की घटनाएं घटित होने के कुछ कारण हैं जिन्हें मैं इस सदन के माध्यम से उद्धृत करना चाहता हूं। महोदय, सबसे बड़ा कारण इस देश में दलित समुदाय की अशिक्षा है। अशिक्षा के कारण दलित समाज के लोगों को अपना जीवन जानवर से भी बदतर जीने के लिए मजबूर किया जाता है लेकिन अशिक्षा के कारण वह उसको समझ भी नहीं पाते हैं। हमारी सरकार ने लगातार शिक्षा देने का प्रयास किया है। हमारे संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को फ्री शिक्षा देने की व्यवस्था भी है लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें दलित परिवारों की शिक्षा बहुत ही कम है। अगर हम उनको शिक्षित कर देते तो जैसा किसी विद्वान ने कहा है कि यदि गुलाम को गुलामी का अहसास करा दिया जाए तो वह अपनी जंजीरें खुद तोड़ लेता है। इसलिए अगर यह दलित परिवार, दलित समाज शिक्षित हो जाता तो अपने लिए कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेता। दूसरा, निर्धनता के कारण भी दलित समाज के लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हुआ करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है, वह इस देश की सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था के कारण यहां पर कुछ लोगों को जन्म के आधार पर उच्च समझा जाता है और कुछ लोगों को जन्म के आधार पर नीचा समझा जाता है, छोटा समझा जाता है और उसी तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाता है। उन्हें कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर मान्यता दी जाती है जिसके कारण लोगों में सुपीरियरिटी कॉम्पलैक्स और इनफीरियॉरिटी कॉम्पलैक्स की भावना उत्पन्न होती है। इस तरह के झगड़े, इस तरह के फसाद अक्सर हुआ करते हैं। महोदय, इसलिए मैं उन कारणों को उद्धृत करते हुए सदन के माध्यम से अपने सुझाव देना चाहता हूं कि अगर इन कारणों को दूर करने का प्रयास कर लिया जाए तो शायद इस प्रकार की अप्रिय घटनांए न घटें। अब मंत्री महोदय के द्वारा जो बयान दिया गया है, इसके संबंध में मैं चन्द

सवाल करना चाहता हूं । मंत्री महोदय के वक्तव्य के पैरा -2 में लिखा गया है कि घटनाक्रम से यह पता चलता है कि 11 मार्च को लगभग 19.30 बजे अनुसूचित जाति समुदाय के 15-20 व्यक्तियों का एक ग्रुप, जिसमें अंजनप्पा और श्री रामप्पा नामक दो व्यक्ति शामिल थे लेकिन तीसरे पैराग्राफ में पुनः लिखा है-

"बताया गया कि रेड्डी समुदाय के सदस्यों और अनुसूचित जाति के सदस्यों के बीच में 9 मार्च को किसी तुच्छ मामले पर हुई कहासुनी कृष्णा रेड्डी की हत्या का तत्काल कारण बनी।"

ये दोनों बातें अपेन आप में कंट्राडिक्टरी हैं। इनसे यह स्पष्ट नहीं होता है कि कृष्णा रेड्डी की हत्या 9 मार्च को हुई या 11 मार्च को हुई। अगर कृष्णा रेड्डी की हत्या 9 मार्च को हुई तो उस हत्या के आरोप में एफ.आई.आर. में कुछ लोगों का नाम लिखाया गया होगा और उस समय पुलिस को हरकत में आना चाहिए था। परिस्थिति को देखते हुए अगर पुलिस बल की व्यवस्था 9 मार्च को कर दी गई होती तो शायद 11 तारीख को यह घटना न घटी होती। इसलिए मैं समझता हूं कि या तो वहां पुलिस बल नाकामयाब रहा या उसकी मिलीभगत के कारण यह घटना हुई। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे नाकामयाब पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए।

साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा है कि घटनास्थल पर मुख्यमंत्री जी पहुंचे और वहां पर लोगों को एक-एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई लेकिन मेरी मसझ में यह अनुग्रह राशि बहुत ही कम है। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि प्रत्येक मृतक के परिवार को कम से कम पांच-पांच लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जाए, धन्यवाद।

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise with pain, sorrow and anguish to say that the statement made by the Minister has revealed nothing. The point is whether it is the Central Government or the State Government, most of the facts have been concealed. Although this is an isolated incident, a statement has come before the House. The Press reports are there. There was tension in the area for the last three years. In 1997, there was an agitation when at the instance of the upper castes a procession by dalits was stopped by the police. And this is from where these incidents started. There is a history behind this incident. On the 9th there was an altercation, on the 10th there was a murder and on 11th these killings took place, what was the police or the administration doing during all these days? There are circulars by the Government of India that the sensitive

areas should be identified, special protection force should be sent there and they should be monitored. But, I have seen none of these things for the last three years where this incident has taken place. There are reports that the police force was withdrawn just an hour or two before. What is the truth about it? The Government should come forward. Even on the basis of the Press reports and on the basis of the report of the State Government, the Central Government could have got certain information from the State Government as to what is the truth. The Press reports have given something else, the report of the State Government gives something else and the Central Government endorses it. The last sentence is very surprising which says that the situation is currently reported to be tense but under control. All the 30 Scheduled Caste families have gone out of the village. Here is a photograph. There were 24 housed and out of which two were burnt. All the families have left the village. How can you accept that die situation is under control? Naturally, when every family has fled the village, then the situation must be under control. But, what is the truth? Why has this happened?

You have to go back. Sir, in Belchi, Karmachedu, Kambheru or even Kambalapalli, this is going to happen again. These incidents are going to be repeated. I, certainly, to some extent, endorse what Mr. Gandhi Azad has said. But, here, the conflict is because of the education. Sir, now-a-days, dalits are educated. They know their rights. When they assert their rights, the vested interests are not prepared to tolerate. On the one side there is illiteracy and toleration of the atrocities; and, on the other, there is assertiveness by the dalits. They know their rights. They are educated. They are unemployed because their opportunities have been seized by others, closed by various distortions in the reservation policy, privatisation, multinationals coming into the country and blocking their entry into the super-speciality courses. As a result, they are not allowed to go into the services. There are no jobs. Agricultural lands have already been taken over. Because of these, they can neither be agricultural labourers nor beggars. So, this is going to happen. Here, the responsibility of the Government comes in. There are Government circulars showing how to deal with the situation in such cases. But nobody looks into those ...(Interruptions)... Sir, this may be my last speech. So, I may be given some more time.

AN HON. MEMBER: Is he seeking clarification or is he delivering a speech?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I do not want to take lessons from you after being in this House for eighteen years. If you have no patience to listen, it shows your attitude. I am sorry. There is the Protection of Civil Rights Act. It has lacunae. There is the Prevention of Atrocities Act. It has lacunae. Time and again, it has been brought to the notice of the Government and amendments have been proposed, but the Government has not moved in that direction. I am not one who belives that these things can be controlled or contained only by the provisions of the PCR Act and the Prevention of Atrocities Act. Why is the tension created? An attitudinal change has to come. While supporting the Constitutional Amendment Bill, I had said that instead of sympathy, apathy is developing. Sir, day-by-day, we see how the question of reservatons is being treated; it is coming up in various judgements of the Supreme Court. There is tension in the S.C and S.T. society, which expected some benefits out of the reservation policy, but the vested interests are blocking it under one pretext or the other. As a result, tension is being created. Here, again, the Government cannot escape from its responsibility. It is not merely a law and order problem of the States. Whenever such a situation arises, the Central Government washes-off its hands by saying that it is a law and order problem; hence, the State Government should manage. But, over and above, the Centre is responsible. Today, we are discussing the Bodo violence; we are discussing the naxalite violence; and we are discussing the PWG violence. You have not left them, saying that it is a law and order problem of the States. The Central Government is intervening and taking it up as a problem. Who are these naxalities? Many of them are educated, unemployed Scheduled Caste youth. My district is bordering Andhra. I know our Scheduled Caste educated, unemployed, youth have been dragged into this movement. So, we should go into the genesis of the problem. Therefore, I request the Government of India to take this subject in its hands. This is your subject. Earlier, we wanted that the Prime Minister should handle the subject. A Committee had been constituted, under the Chairmanship of the Prime Minister. In the whole of fifty years, only one meeting of that Committee was held. Similarly, the State Committees have not met at all, under the respective Chief Minister. We wanted that the subject should be under the Home Ministry, which will have a liaison with the State Governments, so that better protection would be given and better welfare measures would be taken up.

But, we were told that it depends upon the person who manages the department. Yes. Now, the Social Welfare and Empowerment Department is being neglected and finally it has been handed over to a person who is interested in animal welfare rather than human welfare.*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): No, no. That is not... *(Interruptions)*

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I am sorry, this is the agony. These are the results of this agony, that is why these aberrations have come in. I would request the hon. Home Minister to take note of this. Please don't consider this issue as a law and order situation of the State only. It is a burning volcano. Crores and crores, lakhs and lakhs of youths who are educated, but unemployed, are being dragged into these anti-social activities. Here, coming to this particular incident, there should have been certain precautions. There is a lacuna. I think the Government of the day including the Chief Minister, the Home Minister had visited there and have ordered a judicial inquiry. Of course, somebody may be asking for a CBI inquiry. Everybody knows, the Government of India on its own cannot send a CBI team. The request has to come from the State Government, if at all they want a CBI inquiry. But, the State Government has already ordered for a judicial inquiry. They have requested the Chief Justice of Karnataka to spare either a sitting judge, or, a retired judge to inquire into it. They are given compensation. So, at least there was an arrangement. The families fled two years ago, after the last incident. His own brother - Sriramappa's brother -was killed last year. There was tension in the area. It is sensitive pocket but has not been taken proper care of. So, more than the action, a human approach is required. For three years, efforts had not been made to bring them to the consultation table to console them and create an atmosphere so that everybody could live together. How many families can flee? Even in the next village where is the guarantee that they will be safe? Can you throw these 25 per cent people into the Arabian Sea? No. The responsibility lies upon the bigger section of the society, the Hindu society. The nation belongs to them equally. You have to extend a helping to the weaker sections. So, I call upon the Home Minister please don't brush it aside it as a law and order problem of the State Government. Interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is the responsibility of the Government of India. You amend the Act. You enforce a monitoring system. You call a Chief Ministers' meeting on this subject. Have a dialogue. See how far they have

6.00 P.M.

effectively implemented it at the State level. 1 only hope the Home Minister will come out with an assurance that he will take certain steps so that there won't be any repetition of such incidents in future.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): So, I will take the sense of the House. There are fourteen more persons who want to seek clarifications. Should we continue?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY (Andhra Pradesh): Sir, the crime of 11th March in Kolar district is the most ghastly and inhuman incident and deserves condemnation by one and all, irrespective of which Government is in power in the State. It is indeed a matter of satisfaction that the State Government has ordered a judicial inquiry and has declared ex *gratia* to the kin of the deceased. Sir, I have got one question. We have ordered a number of judicial inquiries in various States. I am coming to that. Has the Central Government any apparatus by which it has been collecting all these inquiry reports and then formulating some sort of policy in order to prevent such atrocities?

Sir, though it is a State Subject, yet we are discussing it in Parliament because it is an atrocity committed on the Scheduled Castes. As the hon. Member, Shri Hanumanthappa had pointed out, there is a caste-tension, a caste-rivalry which is going on for some time. It is a well known fact, and the Press also gives that fact. The first murder took place at 1930 hours, and the carnage had taken place at 2100 hours. Sir, nearly two hours' difference is there during which period the State police machinery - I do not know how far the police station is away from this particular place -should have taken some preventive measures, and this carnage could have been averted. Now, I would like to know whether there is a failure on the part of the State police machinery. In many a case, we find that the State police machinery - in most of the States, including my own State - are biased towards the upper castes and are against the Scheduled Castes. I would like to know whether a similar thing applies in this case also. This is not an isolated incident. We are reminded of Keelavenmani in Tamil Nadu; we are reminded of so many atrocities in Bihar; we are reminded of Karanchedu and Guntur in my own State, and so many other places. These village names have

become household names. Various inquiries - judicial inquiries, magisterial inquiries, administrative inquiries - were made. I would like to know : What is the result of all these inquiries? Is there really a follow-up of these inquiries? My second question. Sir, is whether we should not take into account our hon. President's remarks which he made on the evening of 25th January, when he said. "We are becoming more and more impatient of affirmative action that we had taken." It is a very poignant statement that he had given. I think everyone of us should bear in mind, as Shri Hanumanthappa has pointed out, that this question of affirmative action, which we are having, is sometimes provoking the upper caste people to take revenge against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The other question that 1 would like to put is, whether the Ministry of Home Affairs is aware of all these incidents, and whether they had collected facts about all these incidents and advised the State Governments accordingly. The more important thing. Sir, is that the State apparatus has miserably failed in protecting the rights of the Scheduled Castes. The apparatus of all the State Governments has been failing to assume the rights of the Scheduled Castes -- the economic rights, the social rights and the political rights. Sir, this is a common thing in all the States. I am not talking of Karnataka only. All the States have a number of reports on this point. Time and again we have been pointing out, we are crying from rooftops, crying hoarse that land distribution is a central point for the uplift of the rural poor, especially of the Scheduled Castes in our country. But we are dubbed as following the 16th century philosophy. We all are now seeing as to how the 21st century philosophy is giving adverse results, which we do not like. Secondly, Sir, there are Acts and there are rules which have been framed with regard to the minimum wages in the agricultural sector, in the rural areas; but to my knowledge in no village, in no place, the minimum wages are guaranteed for the Scheduled Castes and agricultural labourers. I would like to know : whether the Central Government and the State Government are sensitive to this particular issue of guaranteeing the minimum wages to these agricultural labourers. Sir, I would like to seek one more clarification. We have been asking for a long time a comprehensive legislation for the agricultural labour. I would like to know whether the Government at the Centre is prepared or is thinking of bringing out such a legislation which can give some sort of succour to the Scheduled Castes, the rural poor in our country.

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह अनुसूचित जातियों पर अत्याचार का मामला है और लम्बे समय से समय समय पर इस पर चर्चा इस हाउस में भी हुई है । कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां के कुछ जिले अत्याचार की संभावनाओं वालें जिलों में शामिल हैं । यह कोई अलग-अलग घटना नहीं है । कोई एक मात्र घटना नहीं है । कनार्टक के अदंर लिंगायत युवाओं द्वारा तीन हरिजनों की हत्याएं पहले भी की जा चुकी थीं जब वे क्रिकेट मैच देखकर आ रहे थे । उसका कारण यह था कि भैंस का वध करने को वे तैयार नहीं थे । एक घटना जो घटी वह सिद्धेश्वर मन्दिर में प्रवेश को लेकर घटी । इसी तरह से पुलिस द्वारा भी तीन हत्यांए पिछले दिनों वहां की गयीं ।

इस तरह से हम देखते हैं कि कर्नाटक में अत्याचार निवारण अधिनियम होने के बावजूद भी अत्याचारों की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है । 1997 में 1227 अत्याचार के मामले कर्नाटक के अदंर दर्ज हुए जबकि उसके पहले 1990 में इससे कम हुए थे । अत्याचार के मामलों में निरंतर वृद्धि ही हो रही है जबकि अत्याचार निवारण अधिनियम हमारे देश में है । इसलिए अत्याचार के मामलों को लेकर उनके देश में क्या स्थिति है इस पर कुछ कहने के बजाए सीधे सीधे चार-पाच मुद्दों पर मेरी क्लैरीफिकेशंस मांगने की इच्छा है जो मैं रख रहा हूं और हम समझते हैं कि उनके लिए आप समय देंगे ।

पहला यह है कि 12-11-98 को गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सचिवों को एक पत्र भेजा गया था । राज्यों में समुचित तंत्र – नीतियों को तैयार करना, उनके कार्यान्वयन और मानीटरिंग के लिए उच्चे प्राथमिकता देने का अनुरोध संबंधी वह पत्र था। इस दौरान इसका रिस्पांस राज्यों की तरफ से क्या था और कर्नाटक स्टेट के द्वारा क्या था? इस सबंधं में राज्यों द्वारा क्या कार्यवाहियां की गयी, इसके बारे में मंत्री जी बताएंगे ।

दूसरा, अत्यावार विरोधी यह जो अत्याचार निवारण अधिनियम है उसमें अत्याचार के मामलों में शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था की बात की गयी है । 1989 के बाद से अब तक कितने राज्यों ने विशेष न्यायालयों को गठन किया है? इसमें दो मुद्दों को क्लैरीफाई किया जाए कि किन किन राज्यों ने अलग से विशेष न्यायालयों का गठन किया है और किन किन राज्यों ने सत्र न्यायालयों को ही यह जिस्सा दे दिया है और विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया है? इन दोनों मुद्दों पर इस मामले में क्लैरीफिकेशन होना चाहिए । हम समझते हैं कि यह महत्वपूर्ण है और खास तौर से उन राज्यों में जिन राज्यों के कई कई जिले अत्याचार की संभावनाओं वाले जिलों में शामिल हैं जिनका पता केन्द्र सरकार का है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो अत्याचार निवारण अधिनियम है, यह कानून 1989 में बना लेकिन 1992 तक इसके नियम तक नहीं बने थे । 1992 तक कोई नियम,

रूल्स अधिसूचित नहीं हुए थे । इसी से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार का क्या रूख शुरू से ही रहा है । कानून बना दिया गया और रूल्स 1990, 91 और 92 तक नहीं बने? क्या अभी हैं?

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र) : किसकी सरकार थी?

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : किसी की सरकार रही हो, कोई भी सरकार केंद्र में आई हो अत्याचार के मामलों को अनदेखा किया गया और किसी भी राज्य में ये रूके नहीं । हर राज्य के मसले रखने का समय नहीं है लेकिन हम बता सकते हैं कि 1989 के उस कानून के बनने के बाद 1990 में 584 अनुसूचित जाति के लोगों की हत्यांए हुई थीं । 1991 में 610 की हत्या हुई थी, 1992 में 693 की हत्या हुई थी। पूरा आल इंडिया का यह फिगर है और अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग की रिपोर्ट में यह दर्ज है । तो अत्याचार के मामलों की रोकथाम करने में यह कानून सक्षम नहीं रहा है ।

अंत में एक क्लैरीफिकेशन इस मुद्दे पर चाहेंगे कि 1980 में एक वर्किग ग्रुप बना था । ए वर्किंग ग्रुप फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ एससीज वाज सैट अप इन जून, 1980 प्लानिंग कमीशन उनके डिवेलपमेंट के लिए जो योजनाएं तैयार करता है, उसके बारे में सलाह देता और उसमें मदद करता है और उस वर्किंग ग्रुप ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें उसने कहा था कि हमारे देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक सिस्टम इस प्रकार का है, फाइनेशियल और दूसरी इंस्टीटयूशंस इस तरह से काम कर रही है, उनकी बनावट इस तरह से है कि अनुसूचित जाति के लोग विकास के कार्यो से बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं । हम समझते हैं कि वर्किंग ग्रुप की यह रिपोर्ट और उनका यह कमेंट बिल्कुल महत्वपूर्ण है । क्या उस तरह का कोई वर्किंग ग्रुप इस समय काम कर रहा है, जिसका गठन 1980 में किया गया था? यदि नहीं, तो क्या सरकार उस तरह के परमानैंट, एक स्टैंडिंग वर्किंग ग्रुप फॉर एससी एंड एसटीज के गठन पर विचार करेगी, जो सदा ही इस मामले में सुझाव दे, इस सिस्टम में जो भी कमजोरी है उसको दूर करने के बारे में सुझाव देतो रहे? ये हमारे क्लैरीफिकेशंस थे और यही हमारे मुद्दे हैं ।

अंत में गृह मंत्री जी को हम बताना चाहेंगे कि देखा जाए तो 1997 में देश के सिर्फ सात राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और आन्ध्र प्रदेश में 24041 अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामले दर्ज हुए, इसमें अनुसूचित जनजाति की फिगर शामिल नहीं है । तो दिसंबर, 1999 तक की स्थिति को भी बताने का वह कष्ट करेंगे? जहां तक उनके स्टेटमेंट का सवाल है, इसमें कहा गया है कि किसी तुच्छ मामले पर कहा-सुनी कृष्णा रेड्डी की हत्या का तत्काल कारण बनी । यह तुच्छ मामला क्या था? क्या वह भी अत्याचार से संबंधित मामला था? उससे क्या हरिजन इंजर्ड फील किए थे

जिससे कि वह हत्या हुई ? यह तुच्छ मामला भी प्रकाश में लाया जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि मुख्य मंत्री ने घटना की न्यायिक जांच कराने की घोषण की है। तो क्या गृह मंत्री जी राज्य सरकार को लिखेंगे कि यथाशीघ्र विशेष न्यायालय गठित करके, एक समय-सीमा के अंदर इस मामले की सुनवाई करके, अपराधियों को दंडित किया जाए? यही मेरे कुछ क्लैरीफिकेशंस के मुद्दे थे।

SHRI EDUARDO FALEIRO (Goa): Sir, I am on a point of order. It is a clarification I want to seek. Apart from the clarifications on the Statement of the hon. Home Minister, will any other business be taken up today?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): After this, I will take the sense of the House.

श्री आर.एन. आर्य (उत्तर प्रदेश) **:** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह घटना जिस प्रकार से ह्रदय विदारक है , उसी प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट भी काफी उदासीन है। इस उदासीनता के कारण ही किसी भी स्टेट में इस प्रकार की घटनाओं का सही तरह से जिक्र नहीं होता है और न उनके निदान के बारे में सोचा जाता है। अब कांग्रेस हो या जो भी सरकार हो, जिस सरकार के बीच में यह घटना घटी है, हमने इस संसद में बहुत शोर सुना था, लेकिन जब मैं महसूस करता हूं कि इस घटना को कितने भ्रामक तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, 9 तारीख की कोलार डिस्ट्रिक्ट की यह घटना है। 9 तारीख से ले करके 11 तारीख के 19 बजकर 30 मिनट तक हमें कहीं भी दंगा निरोधक फोर्स के लगाने की सूचना नहीं मिली।

महोदय, इस स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि केन्द्र सरकार के माध्यम से सह सूचूना संग्रहीत की गई है। तो स्टेट ने इस में क्या किया है? स्टेट के द्वारा कोई कार्यवाही की गई है, यह इस में नहीं दिया है। महोदय, बड़े दुख की बात है, यह 9 तारीख की घटना है जिस में कृष्णप्पा का मर्डर हो गया और रामप्पा को दोषी बताया गया। लेकिन रामप्पा के ऊपर तब तक कार्यवाही नहीं की गयी जब तक कि उस के घर – मकान नहीं जल गए। महोदय, 11 ब जे रात में घर, मकान जलाए जाते हैं, लेकिन उस बीच में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी ताकि वह मकान बचाए जा सकते। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की खबर केन्द्र सरकार के पास आती हैं तो वह किस बात का इंतजार करती है? क्या वह स्टेट गवर्नमेंट की अनुग्रहता का इंतजार करते हैं कि वही कार्यवाही करे। महोदय, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की इस प्रकार की घटनाओं का जिक्र पहले भी इस सदन में हुआ है, लेकिन कर्नाटक में दलितों पर भारी

अत्याचार होते रहे हैं। नारायण गुरू ने भी इनाक काफी प्रतिरोध किया है और यही कारण है कि जहां इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं तो जिस प्रकार से हम एक्स्ट्रीमिस्ट्स और टेरेरिस्ट्म की बात करते हैं, दलित वर्ग पर अत्याचार करके हम उनको भी काफी एनॉयड कर रहे हैं। महोदय, मुझे इस बात का काफी दुख है। क्या कृष्णाप्पा रेड्डी को चाकू लगने के पूर्व एस.सी. के लोगों की रिपोर्ट लिखी गयी थी? क्या 9 मार्च से 11 मार्च के बीच में 19.30 बजे तक दलित बस्तियों में दंगा निरोधक फोर्स लगाया गया था? क्या इसी बात का इंतजार था कि कृष्ण रेड्डी की हत्या हो गयी है, इसलिए दलित लोगों की भी हत्या हो जानी चाहिए। महोदय, सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन जो हत्याएं हुई हैं, उनके प्रति यह हमारे शासन-प्रशासन की काफी उदासीन कार्यवाही है। इस कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए मैं एक कवि के कहे शब्द सुनाना चाहूंगा। कवि दिनकर जीने कहा था कि :

'अगर शेर नहीं सुधरते हैं बकरियों पर हमला करने से,
तो फिर क्या सोचना है, अजा के छागलों को भी बनाओ व्याघ्र बाघ।'

हमें उन बकरियों के बच्चों को बाघ बनाने के लिए एक कवि ह्रदय कह रहा है। महोदय, कल क्या होगा जब 22 से 27 परसेंट पॉपुलेशन आप की न्याय व्यवस्था से निरूत्साहित होकर आज के तनावग्रस्त जीवन में टैरेरिज्म की तरफ बढ़ेगी। महोदय, मैं आडवाणी जी का सम्मान करता हूं। उन्होंने स्टेटमेंट समय पर दिया, लेकिन उनके पहले स्टेटमेंट में यह बात झलक रही है कि स्टेट का क्या कोऑपरेशन रहा, स्टेट की क्या इनफॉर्मेशन रही। दूसरी बात इस स्टेटमेंट से यह झलक रही है कि घटना का सीक्वेंस ठीक नहीं है। 11 की घटना को नीचे 9 की लिख रहे हैं।

महोदय, इन्हीं कुछ मुद्दों पर मैं मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा और आपने मुझे समय दिया इस के लिए आप को धन्यवाद देता हूं।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, what has happened in Kambalapalli village in Karnataka, I am really ashamed of it. It is not a simple local law and order problem. It is not an isolated incident. Tension has been brewing in that area for the last two or three years. In 1997, five people were killed. In 1998, five people were killed in the Chinthamani taluk. This village comes under Chinthamani taluk which is bordering die State of Andhra Pradesh. As Shri Hanumanthappa has said, this has got a larger perspective; the growing assertion and consciousness among the weaker sections on the one side; and, on die other die inability of die other people to understand and digest this assertion. Sir, if you see here, these people, Dalits, who met die Chief Minister on his arrival in die village, said, "Others will get angry if we wear shoes, trousers and shirts."

Even after 50 years, this is the situation! Even if it is the feeling—whether it is true or not—really, one should think about it very seriously. The entire country and the society should think about it. There is need for social awareness on this count.

Secondly, here the village Dalit Sriramappa, who has been killed, contested the Sarpanch election. The others thought, "This fellow could come to this level and contest the election in the village!". This is another provocation for that. The third thing is the local incident. My point is, I do not want to give it any political colour. I do not think any politics is involved. It may be local panchayat politics. But the fact of the matter is, the Home Minister's statement as it was given to the House, is totally a report, a simple report, given by the Government of Karnataka. I am sorry to say that this report is not at all a comprehensive report and this is not giving the true picture of what exactly has happened, what the background is and what action the local administration there has taken. I have the information that the police who was in the village after the Friday's incident was withdrawn from the village just one hour before this incident. What is the reason? How can anybody give an explanation? There were incidents earlier; there was tension earlier; there were caste clashes going on. We are not here to blame a particular community, this community or that community. We have our sympathy for the Dalits. But, at the same time, it is the duty of a civilised government, duty of the administration, duty of the police, to give the needed protection, particularly, in view of the growing tension between the communities there and the past incidents also. But, we do not know why the police was withdrawn.

One more astonishing thing is that the mob which set fire to the houses stopped the fire-fighting force personnel from entering the village for more than half an hour, resulting in the death of two more persons. They could have been saved. I am not quoting from anything. This is a newspaper report which appeared in the Deccan Herald and the Indian Express. And my own party people who had gone there as a fact-finding team, had also come to the conclusion that it was callousness on the part of the administration there locally which had resulted in this ghastly incident. Otherwise, it would not have happened. As I told you, it is not an isolated incident. Other Members also said there were earlier instances. Krishna Reddy was murdered. We condemn the murder. Action has to be taken against those people. But what is it that the administration has done in view

of the sensitivity of the situation? There is no explanation from the Government. I cannot expect the Home Minister to answer on behalf of the State Government. I do not want him to get involved in this controversy also.

As a Member of this House representing Karnataka, as a person representing a political party, I want to share my anguish on the callous manner in which the entire thing has been dealt with. I do not want to go into other incidents now and take the time of the House. But the entire approach of the administration there was totally callous. There was a total failure on the part of the administration. So, 1 feel that simply ordering a judicial inquiry now will not help. Judicial inquiry, we all know about. Unless people go to the judicial authorities and file affidavits and then are able to produce evidence, nothing will happen. Therefore, I suggest, instead of that, there should be an investigating agency to find out, firstly, the persons who are responsible; secondly, the circumstances that have led to the incident; and, thirdly, the failure of the local administration. All these things should come out. Then only will it act as a warning to the other people. It will also stop further escalation of tension in other areas. That being the case, I demand that there should be a Central Bureau of Investigation inquiry. I know that the Centre cannot do it without the acceptance of the State Government. But 1 appeal to the State Government, in their own interest, in the interest of the State, that they should also come forward to hand over this case to the CBI. The Dalit organisations in the entire district have observed a bandh' in Chintamani district. They also want to have a CBI inquiry into the incident. I request the Home Minister to communicate to the Karnataka Government the wish of the House. I believe that the entire House agrees with the suggestion. Cutting across party lines, we should really go tough on this matter so that it acts as a deterrent for the future.

Then, I request the Home Minister to find out from the State Government what their rehabilitation plan is. The entire community has left the village. The entire community has left the village now. Peace is there now because people are not there in the village. What is their rehabilitation plan? How are you going to rehabilitate them? This also should be made known. I think, the Central Government, as suggested by Hanumanthappaji, and also the State Government from time to time, under the chairmanship of the Prime Minister or the Home Minister or the Chief Minister should have quarterly meetings to review this aspect of atrocities committed against the weaker sections and women. These are all vulnerable sections in our society.

That being the case and this issue being discussed every time, something concrete has to be done in this regard. Thank you.

श्री सतीश प्रधान : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चंद बिंदुओं पर यहां आदरणीय गृह मंत्री जी से स्पष्टीकरण पूछने का मौका दिया है। महोदय, गृह मंत्री जी का जो स्टेटमेंट है, उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसमें बहुत सी चीजें सामने नहीं आ पाई हैं। महोदय, मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनके पास जो इन्फॉरमेंशन आई होगी, उसके आधार पर उन्होंने सदन के सामने स्टेटमेंट रखा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि और ज्यादा जानकारी उनको लेनी चाहिए थी। इसी के साथ अभी तक अखबार में जो न्यूज आई है, उसको भी देखना चाहिए। उसको देखते हुए यह समझ में आ रहा है कि बहुत पुराने जमाने से रेड्डी कम्युनिटी और वहां के लोकल शैडयूल्ड कास्ट्स के लोगों में वापस में टंटा हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। दोनों का आपसी व्यवहार दोस्ताना नहीं था। महोदय, 11 तारीख को यह घटना घटी है। उससे पहले 10 तारीख को पूरे गांव में टेंशन का वातावरण था। तो 10 तारीख को टेंशन का वातावरण होने के बावजूद, 11 तारीख को घटना घटित होने तक पुलिस सतर्क क्यों नहीं रही ? इस विषय में राज्य सरकार का अपने पुलिस विभाग से खुलासा लेने की आवश्यकता है और गृह मंत्री जी, आपको भी पूछना चाहिए कि पूरा एक दिन तक आपस में झगड़ा होता रहा, यह मालूम होने के बावजूद राज्य सरकार ने क्यों कुछ कदम नहीं उठाया ? फिर 11 तारीख को शाम को सात-साढ़े सात बजे यह घटना घटी और दुर्भाग्य से कृष्णा रेड्डी का खून हो गया। सात-साढ़े सात बजे खून होने के बाद नौ बजे तक पुलिस ने क्या किया? उन्हें मालूम था कि इन दोनों जमातों में आपस में झगड़ा है, यहां कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, यह मालूम होने के बावजूद पुलिस चुप बैठी रही है और कृष्णा रेड्डी का मर्डर हो गया। लेकिन इसके बाद भी पुलिस चुप बैठी रही।

महोदय, पुलिस का काम इतना ही नहीं है कि हव एफ.आई.आर. दर्ज करे और बाद में अपराधी को ढूंढने के लिए निकले और अभी नहीं तो 4 साल, 6 साल के बाद एक- दो लोगों को पकड़ ले और कह दे कि हमने पकड़ लिया है। पुलिस का कवेल इतना ही काम नहीं है। उसकी जिम्मेदारी इससे ज्यादा है। यह उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों के जीवन को हानि न पहुंचे। यह देखना पुलिस की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। पुलिस ने इस बारे में सतर्कता नहीं बरती है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

महोदय, दोनों जो आरोपी थे, रात 9 बजे उनका घर बाहर से वोल्ट करके बंद कर दिया गया और बाद में उन पर पेट्रोल और केरोसिन डाला गया। चिमनी बंद कर दी गई और हवा न आने का सब इंतजार करके उनको केरोसिन डाला गया। चिमनी बंद कर दी गई और हवा न आने का सब इंतजार करके उनको जला दिया गया। इस बात की पूरी

कोशिश की गई कि घर से कोई बाहर न निकले और अदंर ही जलाकर उनको मार डाला गया। यह मानवता के नाम पर कलंक है। यह सिर्फ सदन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए कलंक की बात है। किसी को घर में बदं करके जला दिया जाए, ऐसी परिस्थिति का जब निर्माण होता है तो हमें इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। फिर भाग दौड़ करके वहां मुख्य मंत्री जी गए, वहां के गृह मंत्री जी गए। उन्होंने क्या किया? एक इंक्वायरी कमीशन अपोइंट किया और जो दुखी थे, पीड़ित थे उनको एक-एक लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। तो मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसी घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी घटना होती है तो जो दुखी थे, पीड़ित थे उनको मदद मिलनी चाहिए इस विषय पर मैं दो राय नहीं रखता हूं। लेकिन जब भी ऐसी घटना घटती है, तो वहां हम अच्छे ढंग से मदद देते हैं और जब कारगिल में हमारा जवान लड़ता है तो उस समय जितनी मदद देने की आवश्यकता है वह खुल दिल से नहीं दी जाती है, यह एक दुर्भाग्य है। जो पुलिस अफसर जान की कुरबानी देकर लड़ता है उसको या उसके रिलेटिव को मदद देने के लिए हम इतने उदार नहीं होते। इस प्रकार हमें इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इस पर कुछ नियम, कानून बनाने की आवश्यकता है। शम्भाजी नगर में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर हमला हो गया। पुलिस वालों ने घटना को रोकने की कोशिश की। उसके लिए लाठी-चार्ज करना पड़ा। इस घटना के लिए पुलिस के रिकिएशन के जो पैसे रखें गए थे उसमें से घायलों को अनुदान दिया गया। हम काहं से कहां तक जाते हैं। तो ऐसे विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। यहां पर मुझे एक घर में बाहर से बोल्ट लगाकर बंद करने की घटना याद आ गई जिसको मैं बतलाना चाहता हूं। मुम्बई में ऐसी ही एक घटना घटी। राधाबाई चाल में कुछ लोग रहते थे और राधाबाई चाल को बाहर से बोल्ट लगाया गया तथा घर के एक भी आदमी को बाहर नहीं जाने दिया गया और पूरा घर जला दिया गया। इस तरह की घटनाओं की जांच के लिए आयोग निर्माण किए जाते हैं। उस समय भी इंक्वायरी करने के लिए आयोग बनाया गया था जिसका नाम श्रीकृष्ण आयोग था। मुझे पूरी तरह याद है कि आयोग की रिपोर्ट में राधाबाई चाल को जलाने के बारे में एक पन्ना भी नहीं रखा गया। इस तरह हम इस विषय पर सतर्क होकर आगे नहीं बढ़ सकते और इस विषय पर जब हम आज गंभीरता से नहीं देंखेंगे तो क्या होगा? कर्नाटक में लैंड रिफार्म्स का जब से कानून बना, उससे दंगे बढ़ने की कोशिश हुई। इससे यह मतभेद बढता गया उसका परिणाम यह हुआ। हम इस विषय पर गंभीरता से क्या करना चाहते हैं इस पर सोचने की आवश्यकता है।

आखिर में , मैं एक मुद्दा रखूंगा । पुलिस के बारे में मुझे कहना है कि पुलिस ऐसी घटनाओं पर समय पर कार्रवाई नहीं करती और जब समय पर कार्रवाई नहीं होती तो ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं, इससे वातावरण भी खराब होता है और आपस में यह खींचातानी शुरू हो जाती है। अभी-अभी मुम्बई में एक घटना घटी । एक आदमी जो विधायक है वह इस प्रकार के झगड़े के विषय पर बात कर सकता है, उसका अधिकार है । लेकिन वह पद मर्यादा छोड़कर यदि हमारी गऊ के बारे में कोई बात करे तथा जिससे देश के टुकड़े हो जाएं यह ठीक नहीं है । उसने इस तरह की बात करने की कोशिश की । इस प्रकार की बातों पर पुलिस को तुरन्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है । अगर कोई हमें विभाजित करने वाली बात करता है तो उस पर तुरन्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है । आज तक पुलिस बोल रही है, वहां के गृह मंत्री बोल रहे हैं कि हमने गुनाह रिकार्ड कर लिया है । गुनाह रिकार्ड करने से क्या होगा? आगे की कार्रवाई क्यों नहीं होती ? आगे की कार्रवाई होने की आवश्यकता है । वह जब नहीं हो रही है । तो इससे क्या होगा? इसलिए मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बारे में कुछ योजना बनाने वाले हैं ताकि पुलिस की तरफ से अच्छे ढंग से व्यवहार हो और उसकी तरफ से लोगों को अच्छा प्रशासन मिले । अगर ऐसी कुछ व्यवस्था आप करने वाले हों तो इस विषय पर आप सदन को जानकारी दें । धन्यवाद ।

SHRI T.N. CHATURVEDI (Uttar Pradesh) : Sir, we are discussing a very tragic and ghastly incident. It becomes all the more shameful for each and every one of us that such incidents go on occuring again and again, despite the discussions that we have had many a time. I would like to first mention that I agree with the broad exposition, the broad approach and the thrust that Shri Hanumanthappa had given to this problem in general, in order to have a satisfactory and an enduring solution. There are a number of things, but, particularly, monitoring and better coordination between the various Ministries at the Centre and the State Governments is certainly called for. I would not like to go into this aspect any more, except mentioning that, at one point of time, certainly, the Ministry of Home Affairs was responsible for looking after the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Sir, I would like to confine myself to just one or two clarifications. Firstly, it is true that the Home Minister's statement is, ~ as it is natural in our Constitutional set up - based on the information supplied by the State Governments. But, still, a little bit more of scrutiny of the information and a little more careful questioning of this information is certainly called for. In Para 3 it is mentioned that, 'The immediate provocation for the murder of

Krishna Reddy is reported to be a verba! altercation between the Reddys and die Scheduled Castes on March 9 on some trivial issue. Now, that trivial issue has come out in die Press. It was mentioned by Shri Hanumanthappa and Shri Venkaiah Naidu that there had been some tension due to local politics, local elections and, much more man that, because of property disputes and assertion of their rights by the local people. This incident took place on 9th March. I don't understand why this incident was treated as a trivial issue, in spite of the fact that me area has had a history of tensions for die last 2 -3 years. It was mentioned by two of our distinguished colleagues also. Is it not a callous abdication of responsibility on die part of die local administration and local authorities? In die background of what happend earlier, why was no preventive step taken, after die incident took place on die 9th March? On the 10th of March, the murder of Shri Krishna Reddy took place. It is rather surprising that the next para, that is, para no. 4 says,' The State Police have arrested IS persons in connection with die violence so far. Additional Police force has also been stationed at die village as well as die Special Divisional Headquarters...' When was mis Special Police Force deployed? Was it not necessary to implement it from the 9th or 10th March itself when die murder had taken place? At least, die ghastly incident that took place on die 11th of March could have been prevented. Who is responsible for this kind of an indifference? It is said that prohibitory orders have been enforced at Chintamani and Kambalapalli areas since 13th March. And it took another two days for die curfew orders to be issued. On die 11th of March, die ghastly incident" took place, and then, this order came. Why did it come so late? That results in what Mr. Hanumanthappa and Mr. Venkaiah Naidu had said, "die entire inhabitants belonging to die Scheduled Castes and die Scheduled Tribes left and migrated from that particular area and from that particular village."

Now, this shows the continuing callousness, die complete indifference, Of the local authorities and the administration, and the complete non-appreciation of not only die local situation, the immediate situation that was available at that point of time, but also the gravity of the atrocities against die Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in general. The Chief Minister has certainly done well by ordering a judicial inquiry. I don't want to go into die issue of a CBI inquiry, etc. He has certainly done well. He has also announced a compensation of Rs.l lakh each to the victims. But it has to be ensured that it reaches the affected people. As has already

been pointed out by my colleagues, something ought to be done to bring these people back and to ensure mat they are able to live in this area with a sense of security. It will be possible, as has been mentioned by Shri Hanumanthappa, Shri Azad and Shri Venkaiah Naidu, only through land reforms and by ensuring mat their rights, as equal citizens, are protected adequately and effectively. Thank you.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, कर्नाटक के कोलार जिले में जो दो समुदायों के बीच में हिंसा और प्रतिहिंसा की घटनाएं घटित हुई है, जिसकी वजह से सात अनुसूचित जाति के सदस्यों को जिंदा जलाया गया, यह निःसंदेह बहुत खेदजनक और दिल दहलाने वाली घटना है, पीड़ादायक घटना है। मान्यवर, प्रश्न केवल कर्नाटक का नहीं है। देश में कहीं भी किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक दुर्घटना हो, यह अत्यंत खेदजनक है चाहे वह घटना कभी

[उपसभाध्यक्ष (श्री टी. एन. चतुर्वेदी) पीठासीन हुए]

महाराष्ट्र में हुई हो, चाहे बेलछी कांड के रूप में बिहार में हुई हो या चाहे वह समय समय पर कहीं भी हुई हो। आवश्यकता इस बात की है कि जब इस प्रकार की घटनाओं के बारे में हम विचार –विमर्श करें तो हमें उनकी तह में जाना होगा, उन कारणों पर जाना होगा जिनकी वजह से अनुसूचित जाति के लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और जिन खेदजनक घटनाओं की जवह से हमें सदन में इसमामले पर चर्चा करनी पड़ती है। हमें उस नतीजे पर पहुंचना होगा जिस पर पहुंच कर अनुसूचित जाति के सदस्यों पर जो जुल्म और सितम ढाया जाता है, जो आतंक का वातावरण निर्मित किया जाता है, वह खत्म हो सके। मैं केवल मुद्दे की बात यह कहना चाहूंगा कि समय समय पर केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों की रक्षा से संबंधित, उनके अधिकारों से संबंधित जो परिपत्र जारी किए हैं , उनका परिपालन अक्षरशः होना आवश्यक है, जिसका जिक्र हमारे साथी हनुमनतप्पा जी ने किया है। जहां तक इस घटना का प्रश्न है, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि 11 मार्च को जब दोनों समुदायों के बीच में हिंसा और प्रतिहिंसा का वातावरण बना, यदि समय रहते-अनहोनी घटना आगे न हो, इस बात का आभास करके, प्रतिशोधर की भावना से एक समुदाय दूसरे समुदाय पर आक्रमण न करें, इस बात अहसास करके कदम उठा लिया जाता तो मुझे यह कहने में कोई सकुचाहट नहीं है कि शायद यह खेदजनक और पीड़ादायक घटना नहीं होती। इस घटना के बाद जो कदम उठाए गये हैं, उनका जिक्र केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में किया है कि मुख्य मंत्री जी ने न्यायनिक जांच की घोषणा की है, मुख्य मंत्री जी ने उस स्थान का निरीक्षण भी किया

है और जो प्रभावित लोग हैं, उनसे बातचीत करके किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। गृह मंत्री भी उनके साथ रहे हैं। उनसे संबंधित जो एक वक्तव्य है, उसको मैं क्वोट करना चाहूंगा।

> "The hon. Chief Minister of Karnataka has announced immediate institution of judicial inquiry into the incident. Grant of compensation of Rs. 1 lakh to the family of each of the deceased persons, job to the family of the deceased rehabilitation of their houses, if required, at an alternate place and necessary financial assistance to rehabilitate the families and stringent action against the accused, whoever perpetrated these henious crimes. The police have already nabbed 15 persons, responsible for the carnage on the Scheduled Caste people."

अभी तक जो सूचना मिली है , माननीय गृह मंत्री जी इस बात की पुष्टि कर सकेंगे कि इस घटना से संबंधित केवल 15 लोगों को ही नहीं बल्कि 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रश्न यह नहीं है कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है या कितने लोगों को कंपनसेशन दिया जा रहा है बल्कि प्रश्न यह है कि जैसे हमारे एक माननीय सदस्य ने पुनर्वास का जिक्र किया, पुनर्वास की व्यवस्था न केवल उस स्थान पर होनी आवश्यक है जहां यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है बल्कि वहां के लिए भी होनी आवश्यक है जैसे की मुख्य मंत्री ने घोषण की है कि ये अनुसूचित जाति के लोग जिन पर यह जुल्म ढाया गया है, जहां भी रहना चाहें, उनके पुनर्वास की व्यवस्था एक समय सीमा में की जानी जरूरी है। साथ ही न्यायिक जांच की बात कहीं गई जिसमें यह भी बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐडीशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नेतृत्व में एक एस.आई.टी.बनाई है जो इस घटना की जांच करेगी और यह देखेगी कि जो भी इसके दोषी हैं, समय रहते उनके खिलाफ कार्यवाही हो। तो इसके लिए भी मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से यह पहल होनी चाहिए कि जो न्यायिक जांच की घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की है, वह भी एक समय सीमा में पूरी हो जानी चाहिए।

मान्यवर, जहां तक सी.बी.आई. इनक्वायरी की बात है, आप उस जगह विराजमान हैं और इस व्यवस्था को जानते हैं कि जब तक राज्य सरकार किसी भी घटना की जांच सी.बी.आई. द्वारा कराने की सिफारिश नहीं करती है, तब तक केन्द्रीय सरकार अपनी तरफ से इस सबंधं में निर्णय नहीं ले सकती है। महोदय, देश में अन्य स्थानों पर जब भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर आक्रमण हुए हैं, उनके ऊपर

ज्यादतियां हुई हैं । अगर उसी समय ये बातें हो जातीं तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं घटती । उन घटनाओं पर हमने इस सदन में चर्चा तो कर ली लेकिन सी.बी.आई. की जांच तो छोड़िए, उनकी न्यायिक जाच तक नहीं हो पाई । मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाए ताकि इस सदन में दोबारा इस प्रकार की घटनाओं को चर्चा का मुद्दा न बनाया जाए । इसलिए कर्नाटक की सरकार द्वारा जो इस बारे में कदम उठाने की घोषण की गई है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक निर्धारित समय सीमा में उन कदमों को उठाया जाए । जो बातें कही गई हैं, उन बातों को मूर्त रूप दिया जाए और साथ ही जो अधिकारी शिथिल पाए जाएं, जिनकी उदासीनता की वजह से यह घटना घटी है, उनके खिलाफ भी समय रहते कदम उठाए जाने में हमें किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए ।

जहां तक न्यायिक जांच की बात कही गई है, कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने वहां के मुख्य न्यायधीश को लिखा है कि वे बताएं कि किसके द्वारा न्यायिक जांच की जानी चाहिए । तो केन्द्रीय सरकार की तरफ से यह पहल की जानी चाहिए कि जिस न्यायाधीश द्वारा या जिस भी ज्यूडीशियल अथॉरिटी के द्वारा जांच की जानी है, उसकी घोषणा शीघ्र करे । अगर हम न्यायिक जांच के सबंधं में किसी भी प्रकार का सदेंह या शंका व्यक्त करेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि हम न्यायिक प्रक्रिया में कहीं न कहीं शंका उत्पन्न कर रहे हैं या जो माननीय न्यायाधीश जिनके द्वारा यह न्यायिक जांच की जानी है, उनकी लॉयल्टी या इंटिग्रिटी पर शंका कर रहे हैं । इसलिए मैं यह सोचता हूं कि बेहतर यह होगा कि समय सीमा में न्यायिक जांच पूरी की जाए, जो दोषी हों उनके खिलाफ समय बीमा में ही कार्यवाही की जाए और पुनर्वास से संबंधित, अनुग्रह राशि से संबंधित और दोषी लोगों को सजा देने से संबंधित जो कदम उठाने की बात कही गई है, वे समय रहते उठाए जाएं तो मैं समझता हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों पर जो जुल्म ढाया जाता है, उस पर नहीं न कहीं अंकुश लगेगा । साथ ही जो परिपत्र केन्द्रीय शासन के द्वारा राज्य सरकारों को समय-समय पर भेजे गए हैं, उनका पूर्णत : पालन हो ताकि भविष्य में इस प्रकार की बातें अनुसूचित जाति के लोगों के साथ न हों पाएं । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): I would like to make a request to the hon. Members. There are seven more names with me. Some general issues have already been touched by Shri Hanumanthappa, Shri Naidu and Shri Azad. I would request the hon. Members to confine themselves to this particular incident. We will have some other occasion to discuss this issue in general. It would be better if all of you kindly confine yourselves to specific clarifications about this incident. This

will enable the Home Minister to respond in detail and in a constructive manner.

SHRI BRATIN SENGUPTA (West Bengal): I would like to draw the attention of the hon. Home Minister to one feet Shri Hanumanthappa, in the beginning of his speech, alleged mat the statement did not reveal everything. I would request the hon. Minister to clarify this point.

Sir, I fully agree with die fact that basically, socio-economic factor is the most important factor behind this kind of violence that has been going on in our country since Independence. I would like to know whether, apart from social-economic factors behind this kind of incidents, the responsibility also lies with an aggressive and offensive campaign made by certain organizations from time to time. Thank you.

SHRI H.K. JAVARE GOWDA (Karnataka): Sir, after hearing about this ghastly incident and after reading die newspapers and after gathering the information personally, I feel pity for the Dalits and for Mr. Krishna Reddy, who died. Sir, this health of the society is more responsible for these types of incidents that are taking place in every nook and corner of die country. I would like to know whether any complaint had been lodged by any party after die verbal altercation on 9.3.2000. What is the complaint that has been lodged after die killing of Mr. Krishna Reddy? Who is me accused? What is die complaint which was lodged by die victim's party on 13.3.2000? In die statement it is mentioned that it was a caste violence between Reddy community and Dalits. I have been told that yesterday 16 persons had been produced before die Sessions Court, Kolar where one of the accused was a Muslim His name is Mahaboob. As rightly pointed out by my senior colleague, die Home Minister has read out whatever information was furnished by the State Government I am trying to impress upon myself whether caste meter was die rootcause or ego or ignorance or arrogance from either side was die rootcause.

Unless we know mis particular tiling, merely saying so many other tilings is not gong to solve die problem. Why I am saying all tins is because I am told that itis a poor village, and die people there are living in unhygienic conditions. They have no support from either side. Even that person, Krishna Reddy, was a water man; he was getting a salary of Rs.200 and was owning one acre of land. That is not die issue. The core issue, according to me, is, we have to see what went wrong, what the reality in it was. Unless, we

know these things, we cannot prevent such incidents in future. Therefore, I would urge upon the Minister that it is a fit case to appoint a House committee to look into the socio-conditions of the entire country and to study the minds of the people towards each other's communities. That may solve die problem.

Thank you.

SHRI SWARAJ KAUSHAL (Haryana): Mr. Vice-Chairman, Sir, die statement is silent as to who would conduct mis judicial inquiry. Will it be a High Court judge? It is a welcome step in case it will be a High Court judge. But die Government should go into facts which are far more deeper. It is not that the case should be investigated in isolation; it should be seen in totality as to how such incidents take place. And, there is a need to examine a few legislations connected with these issues. As Shri Hanumanthappa very rightly pointed out, legislations like the PCR Act, in spite of having very stringent provisions like offences are cognisable, offences are non-compundable, offences are non-bailable and even probation is not allowed, yet, such legislations are not able to resolve the issues; such legislations are not able to prevent such occurrences. While die terms of reference are formulated, I would request die hon. Home Minister to please take h up with the hon. Chief Minister of Karnataka that die terms of reference should include as to why such incidents take place, and see whether our legislations are sufficient enough to take care of such matters in future. And, if need be, for that purpose, we should even institute a judicial inquiry by a Supreme Court judge so mat such incidents do not recur in future.

PROF. M. SANKARALINGAM (Tamil Nadu): Sir, it is an unfortunate and a cruel act where sue persons including two women were burnt alive on 1lth March. This cruel act was done to retaliate die murder of one person who happened to belong to a particular community. On 1lth March, around 7.30 p.m., one person named Krishna Reddy was killed by a group of persons belonging to die Scheduled Caste community, and immediately, at 9.30 p.m., retaliation took place in die form of burning of houses which resulted in merciless killing of sue persons, including two women. It has been mentioned in die statement mat mere had been a verbal altercation between these two groups on 9th March. Now, I would like to know what die law and order maintaining authority did in these two days, that is, between 9thi and 1lth March. Did they take any measures to prevent such

7.00 P.M

activities? The first incident had taken place on 9th March, and the second dastardly act took place on 11th March. It has to be inquired into as to what the law and order maintaining authority did in these two days so that we will be able to prevent recurrences of such incidents in future. The institution of a judicial inquiry is a welcome step of the Chief Minister.

Only those who file an affidavit and come to the court can be examined and the Judicial officer who is appointed as a High Court Judge or a Supreme Court Judge cannot *suo motu* go and enquire into the matter. So, a CBI enquiry or any other such Central enquiry has to be initiated. I want to know from the Home Minister as to what action will be taken in this direction to avert such kind of incidents in future. We have to take a long-term policy of making the Indian community a casteless society. For that, a package or a special scheme has to be evolved, in consultation with all the groups in this House and outside. I want to know from the hon. Home Minister as to what action is going to be taken in this direction.-

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. N. CHATURVEDI): Shri Sharief-Ud-Din Shariq.

***श्री शरीफ-उर्दू-दीन शरीक** (जम्मू और कश्मीर) : सर, पहले तो मुझे शिकायत है, मेरा नाम सही नहीं बोला जाता है । ...(**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. N. CHATURVEDI): I apologise.

***श्री शरीफ-उद्-दीन शरीफ** : शरीफ तो हूं मैं, उसमें कोई शक नहीं है ।

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI T. N. CHATURVEDI):: Once more I apologise to Shri Sharief-Ud-Din Shariq.

***श्री शरीफ –उद्-शरीफ** : सर, कर्नाटक के इस अफसोसनाक वाकये पर जितने भी खून के आंसू बहाए जाएं, कम हैं। यह किसी खास फिरके, किसी खास कौम, किसी खास शख्स का कत्ल नहीं है, यह इन्सानियत का कत्ल है, और हिन्दुस्तानियत का कत्ल है । हर हिन्दुस्तानी को यह सोचना है कि यह खून हमारा गिर रहा है । अगर एक दलित का, एक ब्राह्मण का, एक मुसलमान का और सिक्ख का थोड़ा थोड़ा खून निकाल

* Transliteration of the Speech in Persian Script is available in the Hindi version of the Debate.

कर एक प्याले या बोतल में डाल दें, मैं आज सब से गुजारशि करूंगा उसको दस करोड़ का इनाम मिलना चाहिये जो अलग खून निकाल सकता है कि मुसलमान का खून कौन सा है, हिन्दू का कौन सा है, दलित का कौन सा है, ब्राह्मण का कौन सा है। खून तो खून है, यह हमारा खून है। उन्होंने किसी खास शख्स को नहीं मारा, उन्होंने हमारी रवायत को मारा, हमारी शराफत को मारा, हमारी इन्सानियत को मारा, हमारे असलाफ, अवतार पीर पैगम्बरों ने जो सिखाया, उस सारी तालीम को मार डाला।जब भी कम्युनल फसाद हुआ, हम बदकिस्मती से हमेशा यह सोचते आए हैं, कौन मरा, मुसलमान मरा या हिन्दू मरा, हरिजन मरा, अपर जाति का मरा या छोटी जाति का मरा। इस सतह से बहरसूरत जब तक हम सब लोग ऊंचे नहीं उठेंगे और दिल की गहराइयों से इस काबिले नफरत अमल के खिलाफ सरबकफ हो जाएंगे तब तक यह चीजे सिर्फ कानून के साथ रुकने वाली नहीं हैं। 50 साल गुजरे, हमने वादा किया कि 10 साल में खंदगी दे देंगे, सब को तालीमी रोशन कर लेंगे लेकिन 50 साल के बाद भी कहीं कर पाए। हमारी सारी प्लानिंग जितनी भी 50 साल से आ रही है, उसमें पता नहीं कौन सा नुक्स है कि हम यह नहीं कर पाए हैं। जो टारगेट, जो निशाने हमने मुकर्रर किये थे गरीब लोगों के लिए, वह पूरे नहीं कर पाए हैं। आज इस देश में कोई गांधी नहीं है, कोई जयप्रकाशनारायण नहीं है, कोई विनोबा भावे नहीं है जो सीनासिपर हो कर चले। आज हम इलेक्शन लड़ने चल रहे हैं। आज दलित के घर में उसके दुख को देखने के लिए हमारा कोई बड़ा आदमी, बड़ा लीडर नहीं जाता। तो नतीजा लाजमी है कि नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और नफरत का नतीजा हमेशा नफरत होता है। नफरत से कभी प्यार मोहब्बत की बात नहीं चलेगी। जितनी नफरत गहरी हो जाएगी, कत्लेआम हो जाएगा, शराफत का जनाजा निकल जाएगा और हम देखते रहेंगे। हमारे पास कानून है, आदादोशुमार से क्या हमारे होम मिनिस्टर साहब यह बात सकेंगे कि आज तक कितने फिरकेवाराना फसादात हुए हैं, सजा कितने लोगों को मिली ? कानून में नुक्स हैं, कानून चलाने वाली, इंपलीमेंट करने वाली एजेंसियों में दयानत नहीं है। अभी हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा। कि हम वहां जुडीशियल इंक्वायरी कराएंगे इतनी कानूनी मुहाशीगाफियां आएंगी कि वहां भी मुजरिम बचकर निकल जाएंगे। हमारा हाल यह है कि मैं एक आदमी, जेल में हूं, 20 कत्ल करके इलेक्शन जीत जाता हूं क्योंकि मेरे गुंडे बंदूकबाज बाहर जाकर डराते हैं। तो वहां आपकी शहादत देने कौन आएगा? जब तक आपके समाज का यह मयार है, गवाही कहां से मिलेगी आपको? लाजिमी नतीजा यह होगा कि मुजरिम को सजा नहीं मिलेगी। तजीऔकात हो जाएगा। वरना अगर हिम्मत है और सदाकत से हम तमाम सियासी मसलहलों से ऊपर उठकर इस

नफरत भरे जुल्म का कला-कुमां करना चाहेंगे तो मैं होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि क्या हम ऐसे स्पेशल कोर्ट ऐसे जरायम के लिए कायम कर सकते हैं और उनको मुकरर्र वक्त, मियाद के अदंर अपना फैसला सुनाने की ताकीद कर सकते हैं? क्या हम इसके लिए कोई स्पेशल टास्क फोर्स बना सकते हैं? क्या हम दलितों और गरीब की बस्तियों में उन्हीं के 10-40-50 बच्चे हर गांव में उनको थोड़ी बहुत तनख्वाह देकर गांवों की रखवाली के लिए रखने का ऐसा कुछ इंतजाम कर सकते हैं? क्या हम इन पिछड़ी जातियों के लिए एजूकेशन का कोई स्पेशल प्रोग्राम चला सकते हैं? क्या हम लैंड रिफार्म्स कर सकते हैं जिसमें जो रोजी रोटी के मोहताज हैं उनको प्रायोरिटी मिले? 50 साल तक हम यह नहीं कर पाए। भाषण हमने बहुत किए। लोग जमा किए और कोशिश की मोटे लफ्जों से उनका पेट भरने की। लेकिन लफ्जों से किसी का पेट नहीं भर सकता है।

आनरेबुल होम मिनिस्टर साहब, यहां कहा गया कि सी.बी.आई. की इंक्वायरी करायी जाए। मुझे अफसोस करना पडेगा कि इस इदारे का रिकार्ड भी कुछ इतना शानदार नहीं है। जितनी भी सी.बी.आई. इंक्वायरीज हुई, हमेशा मुलजिम छूट गए। पता नहीं आज भी क्यों लोग सी.बी.आई. की बात कर रहे हैं। क्या इस बारे में आप सोंचेंगे?

हमारा यह हाल है कि एक चंदन की लकड़ी चुराने वाला आदमी किसी जंगल में और इतनी सारे हाकिम, फोर्स और फौज उसको पकड़ नहीं पायी हैं। उसका क्या नाम है? वीरप्पन या क्या है मुझे मालूम नहीं। उसको पकड़ नहीं पाए हैं। यह हमारे सिस्टम में नुक्स है। कहां है वह सिस्टम जो बिजली की तरह फाटफट आपने हुक्म दिया और उस पर तामील हो गयी ? आपने आज कहा कि पकड़ों और वह पकड़ा जाए। कितने लोगों को फांसी पर चढ़ते देखा गया है जबकि इतने सारे कत्ल हो रहे हैं? इतनी छीना झपटी हो रही है। किसी इज्जतदार आदमी के चलने के लिए गुजाइंश नहीं रही है। तो सारे सिस्टम को आपको देखना पड़ेगा। यह अफसोस की बात है कि गरीब-गुरबात पर लोग झपट पड़ें। घरों में जाकर उनको जलाएं। हमें हुकूमत करने का क्या, हमें जिंदा रहने का भी हक नहीं है जब तक हम हर हिन्दुस्तानी को अहसास न दे देंगे कि वह इस मुल्क में महफूज है, उसका घर महफूज है, उसकी औलाद महफूज है, उसकी जायदाद महफूज है और उसकी नामूस महफूज है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रूखसत चाहता हूं।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat)): Sir, I also felt very anguished on what had happened. Right from Shri Hanumanthappaji, everybody has been expressing his anguish on these incidents that have taken place. This incident, of course, is heinous, brutal and condemnable. But this is not the first such incident that has happened in India. There have been many such incidents. Whenever we hear of such incidents taking* place, we

always express our anguish. But many such incidents have taken place earlier also. This is not the only incident where people have been scorched to death. In my town also, in 1980, seven persons were scorched to death. When such incidents happen, sometimes the Scheduled Castes are affected, sometimes people belonging to both the communities are affected. Whenever such incidents happen, we always talk of conducting investigations in a fair manner. Sometimes judicial inquiries are held. After that, charge-sheets are also sent to courts. But, how can we prevent such incidents? This has never been thought of. Our laws are such. I don't say that there are no penal laws in India. There is' the Indian Penal Code. There is the Prevention of Atrocities Against Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act also.

There is the Protection of Civil Rights Act. There are many penal laws. But, at the same time, the investigation in which the police is involved or the investigating authorities are involved, their investigation is not at all believed even today, as it is believed in the other countries. Therefore, there is a need to amend the Evidence Act and the Criminal Procedure Code so that the procedure of conducting the investigation, the investigation which has been conducted by honest people, or. by honest officers could be believed in the court, the accused could be convicted and there is no chance of the accused going scot-free. Therefore. I would like to know whether the Government is thinking amending the Indian Evidence Act which was framed long before. I would also like to know whether the Government is thinking in terms of amending the Indian Penal Code and the Criminal Procedure Code so that proceedings in respect of such heinous crimes could be conducted, and the accused who have committed such offences could be punished.

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मान्यवर उपसभाध्यक्ष जी, स्पष्टीकरण के नाम पर राज्य सभा में प्रायः एक चर्चा हो जाती है और वह चर्चा आज केवल कोलार जिले की घटना तक सीमित नहीं रही, अपितु कुल मिला करके समाज में कमजोर वर्गों के प्रति कैसा रवैया है उसके बारे में चल रही है । खास करके श्री गांधी आजाद ने इसे आंरभ किया, हनुमनतप्पा जी उसके बाद बोले, वेकैंया जी उसके बाद बोले । उन्होंने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने-अपने ढंग से विचार प्रकट किए । गांधी आजाद कहते हैं, क्योंकि दलित वर्गों में शिक्षा का अभाव है, इसके कारण उनके ऊपर ज्यादतियां होती हैं, जबकि हनुमनतप्पा जी ने इस बात पर बल दिया कि इन दिनों में कई घटनाएं केवल इस कारण नहीं होती क्योंकि शिक्षा का अभाव है, लोग क्योंकि शिक्षित होने लगे हैं, जो शताब्दियों तक अशिक्षित थे, पिछड़े हुए माने जाते थे, अपने अधिकारों के प्रति उदासीन थे, वे क्योंकि

शिक्षित हो करके अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए हैं, इसलिए उनके ऊपर, उनके द्वारा ज्यादती होती है कि जो सशक्त ज्यादा हैं। लगभग इसी प्रकार की बात प्रकट हुई जब वेंकैया जी ने सिकी अखबार का कोटेशन सुनाया,मैंने नहीं पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा कि वहां के दलित लोगों की ओर से कहा गया कि हम से नाराजगी इस कारण होती है कि क्योंकि हमन पैंट और कमीज पहनना शुरू किया है, जूता पहनना शुरू किया है। इसलिए नाराजगी होती है। इन सब बातों में सच्चाई है। जैसा किसी ने बाद में कहा कि सोचना तो समाज के स्वास्थ्य के बारे में चाहिए, यह समाज की अस्वस्थता का लक्षण है कि आज अगर शताब्दियों से पिछड़ा हुआ एक वर्ग आगे आ रहा है, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहा है और कम से कम जो हमारी संविधान की व्यवस्था है उसके कारण उसको संसद में और विधान सभाओं में समुचित स्थान मिल रहा है, उसके कारण बाकी लोग क्षुब्ध हो करके उनको दबाने की कोशिश करें तो यह समाज की अस्वस्थता का लक्षण है, जिसका इलाज होना चाहिए। मैंने इन बातों का इसलिए जिक्र किया, क्योंकि बहुत अच्छी बहस हुई, अच्छी चर्चा हुई और लगभग एक मत से सब लोगों ने कहा कि यह बहुत ही वेदनादायक बात है कि झगड़े में 7 बेगुनाह लोगों को, जिनमें महिलांए भी थीं, उनको जिंदा जला दिया गया। दो ग्रुप्स का झगड़ा हो और उसमें तीन यहां से मारे गए, दो उधर से मारे गए, यह एक अलग चीज है, लेकिन क्योंकि एक संप्रदाय के प्रति गुस्सा है, तो वहां आ करके उन दलितों को मार देना, रात्रि को जिंदा जला देना, यह एक वीभल्स घटना है।

इसीलिए इतनी यूनानिमिटी के साथ सभी ने कहा। आखिर में भले ही उन्होंने कहा कि खून किसी का भी हो कोई पहचान थोड़े ही सकेगा कि दलित का है, सवर्ण का है, रेड्डी का है, हिन्दू का है या मुसलमान का है। यह सत्य होते हुए भी मानना पडेगा कि किसी को भी जिंदा जलाया जाए तो उससे मन में वेदना होगी, लेकिन वह जिंदा जलाया जाने वाला अगर समाज के कमजोर वर्ग का है तो हमारी जवाबदेही उस के बारे में बढ़ जाती है , यह पहचानना चाहिए। बाकी सभी की जो व्यथा है, उस के साथ मैं अपने को जोड़ता हूं। मैं अगर किसी के साथ नहीं जुड़ सकता और जिस के कारण मेरे ऊपर भी यह आरोप लगता है कि अगर यह घटना गलत हुई है तो यह वक्तव्य भी उदासीन है। यह कहना गलत है। और उस का कारण यह है कि मेरे ऊपर भी मर्यादा है। मैं भी अपना निष्कर्ष निकाल सकता था, मेरी अपनी जो रिपोर्ट है उस के आधार पर, जो अखबारों में छपता है उस के आधार पर, लेकिन मर्यादा मुझे कहती है कि केन्द्र सरकार के नाते इस प्रकार की घटना के बारे में अगर आप सार्वजनिक रूप से सदन में बयान करें तो मोटे तौर पर यह बताएं कि जो आपको प्रदेश सरकार ने बताया है और प्रदेश सरकार ने मुझे जो जानकारी दी, वह

मैंने आप तक रखी है। उस जानकारी में मेरे लिए इतनी बात समाधान की थी कि प्रदेश सरकार ने एक न्यायिक जांच का निर्णय किया है और घोषणा की है। इस बात का मुझे समाधान हुआ। उपसभाध्यक्ष महोदय, जो बातें यहां कही गयीं कि उन से पूछा जाय न्यायिक जांच कब हो रही है, कितनी जल्दी हो रही है, कौन न्यायाधीश होगा। महोदय, आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि मैं आज यहां सदन में जो बातें कही गयी हैं, वह उन तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन मोटे तौर पर इस का निर्णय भी उन्हें ही करना होगा। हां, एक जानकारी उन्होंने मुझे फिर से भेजी है कि तुरंत कार्यवाही के नाम पर

The State Government has transferred the Superintendent of Police of Kolar district. यह जानकारी उन्होंने मुझे भेजी है कि वहां के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का उन्होंने स्थानांतरण किया है।

महोदय, मैं अपनी मर्यादा की चर्चा करने के बाद भी इस बात को मानता हूं कि हम कई सर्कुलर भेजते रहे हैं और सर्कुलर्स का पालन न हो और इस प्रकारर की घटनाओं की सूचना हम को मिलती रहे, यह कोई समाधानकारक बात नहीं है। We can't evade our responsibility. कास्टीटयूशन के अनुसार भले ही प्राथमिक जवाबदेही स्टेट गवर्नमेंट की हो, लेकिन ओवर-आल जवाबदेही इस मामले में भी खासकर शेडयूल्ड कास्ट/शेडयूल्ड ट्राइब के संदर्भ में कि उन के साथ अन्याय न हो, अत्याचार न हो यह केन्द्रीय सरकार की भी है। यह प्योर लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है। इस कारण एक महत्वपूर्ण सुझाव जो हनुमनतप्पा जी ने किया, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैं सोचता हूं कि चाहे प्रधान मंत्री के स्तर पर या मेरे गृह मंत्री के स्तर पर एक सम्मेलन देशभर के मुख्य मंत्रियों या गृह मंत्रियों का इस एक विषय पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाए कि लगातार शेडयूल्ड कास्ट/शेडयूल्ड ट्राइब के ऊपर क्यों अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं। उसी संदर्भ में इस बात का भी निरीक्षण करेंगे कि इस संबंध में जो दो-तीन कानून स्पेशली बनाए हुए हैं, उस में कोई लूप-होल्स हैं क्या या यह जो घटना हुई और जिस की हम चर्चा कर रहे हैं, उस में कानून का कोई सवाल है क्या It is the executive authority which had to act. और उसमें कोई कमी रहे या नहीं रहे, यह एक अलग बात है, लेकिन यह जो सम्मेलन बुलाएंगे उसमें इस बात का भी हम विचार करेंगे कि इन कानूनों में भी कोई लूप-होल्स हैं क्या, कोई कमियां हैं क्या जिन का पूर्ति करनी चाहिए? मैं समझता हूं कि यह जो सम्मेलन होगा, यह सम्मेलन एक प्रकार से इसी घटना में उभरा हुआ होगा। It would be, in a way, something good that has come out of this very ugly ghastly incident which should not happen again, afrc और उसपर हम विचार करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं फिर से न हों।

महोदय, मैं बाकी एक-एक चीज का उल्लेख नहीं करूंगा। कई बातें अलग-अलग लोगों ने कहीं । उस में से एक बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी क्योंकि उस का उल्लेख कहीं मुझे दी हुई जानकारी में नहीं था । अगर यह बात सही है कि इस घटना के बाद वहां पर जितने दलित समाज के परिवार थे, वे सब गांव छोड़कर चले गए हैं, तो यह बहुत गंभीर बात है और इसके प्रति मैं प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा और उन्हें कहूंगा कि उनके पुनर्वास के लिए, वे वापिस अपने गांव में आ जांए, इसके लिए जल्द से जल्द प्रबंध करें । यह निश्चितस रूप से प्रदेश सरकार का कर्त्तव्य है । यह जानकारी आप लोगों ने मुझे दी है ।

जानकारियां तो आप लोगों ने मुझे और भी दी हैं लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं इस प्रकार की जानकारी नहीं दे सकता था, होते हुए भी नहीं दे सकता था क्योंकि मर्यादा का पालन करना है । मुझे इसक आगे कुछ नहीं कहना है ।

श्री शरीफ –उद्-दीन शरीफ : वे लोग, जो घबराएं हुए हैं, भागे हुए हैं घरों से, उन लोगों का ऐतमाद बहाल करने के लिए क्या कुछ चंद घंटों के लिए आप वहां तशरीफ ले जाएंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपका सुझाव है औ मुझे स्वयं इसमें कोई आपत्ति नहीं नजर आती । मैं समझता हूं कि इस मामले में अगर सांसद जाएं, किसी ने आखिर में सुझाव भी दिया था कि यहां से एक सांसदों का दल जाए, तो वह ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि मेरा अनुभव इस मामले में यह है कि आज केन्द्रीय सरकार में अलग-अलग पार्टियां हैं, प्रदेश सरकारों में अलग-अलग पार्टियां हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री शरीफ –उद्-दीन शरीफ : पार्टी के रूप में नहीं, ऐज़ ए होम मिनिस्टर ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपका सुझाव मैं ध्यान में रखूंगा, इतना ही कह सकता हूं ।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : उपसभाध्यक्ष जी, मुझे एक बात मंत्री जी के ध्यान में लानी है क्योंकि आपने मुख्यर मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की बात की है । 1991 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन गृह मंत्रालय द्वारा ही बुलाया गया था और उसमें और बातों के साथ-साथ यह विचार हुआ था कि ऐडिशनल कलेक्टर, केवल अत्याचार के मामलों को देखने के लिए, राज्य सरकार जिलों में नियुक्त करे । इस मामले में तो कोई प्रगति नहीं हुई । मेरी जो इन्फारमेशान है और आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक आन्ध्र सरकार ने तीन जिलों में ऐसे कलेक्टर नियुक्त किए, तो उसका भी रिव्यू मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में किया जाए । पिछले मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की कार्रवाई को देखते हुए उसमें जो निर्णय लिए गए उसका कहां तक अनुपालन हुआ, यह भी देखा जाए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन. चतुर्वेदी) : यही मैं समझता हूं कि मुद्दा है और गृह मंत्री जी ने कहा था कि जो दायित्व हैं राज्य सरकारों के और जो दायित्व केन्द्र सरकार के हैं, दोनों के सिलसिले में पुरोन अनुभव के आधार पर या जो सरकुलर निकाले गए हैं, उनके आधार पर उन पर विचार-विमर्श होगा । ...(**व्यवधान**)... I think we have had enough discussion. ...*(Interruptions)*... There will be other occasions when these general questions can be raised.

श्री सतीश प्रधान : उपसभाध्यक्ष जी, अभी-अभी गृह मंत्री जी ने बताया,उनको जानकारी मिली है कि वहां के जो पुलिस आफिसर इंजार्च थे, उनका वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया है। मेरा अभी तक का अनुभव ऐसा है कि कहींव पर कोई ऐसी घटना घटती है तो अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं यह चाहता हूं कि जिस पर उसकी जिम्मेदारी थी और जिसने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो नहीं होती। यह गृह मंत्री जी ध्यान में रखें।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन. चतुर्वेदी) : यह अगली स्टेज होती है। वैसे इंस्ट्रक्शन्स तो बहुत सी है, राज्य सरकारों को यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में लोग सस्पेंड होने चाहिए , लेकिन आप जानते हैं कि इसमें काफी कम्प्लिकेशन्स होती हैं।

The House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at twenty-three minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 16th March, 2000.